Established in 2008
"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, भारत

NAAC Accredited | UGC Approved | Recognized by Statutory Councils

महीप सिंह के कथा साहित्य में वृद्ध समाज

शोधार्थी

श्रवण लाल सेन

एनरोलमेन्ट नं.

JVR/II/22/11039

शोध निर्देशक

डॉ. आनन्द राय

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

शिक्षा एवं कार्यप्रणाली संकाय

पीएच.डी.

(हिन्दी)

शोध उपाधि पंजीयन के लिए प्रस्तुत

सार-संक्षेप (SYNOPSIS)

Estd. in 2008

''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ''

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, भारत

NAAC Accredited | UGC Approved | Recognized by Statutory Councils

महीप सिंह के कथा साहित्य में वृद्ध समाज

शोधार्थी

श्रवण लाल सेन

एनरोलमेन्ट नं.

JVR/II/22/11039

शोध निर्देशक

डॉ. आनन्द राय

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

शिक्षा एवं कार्यप्रणाली संकाय

पीएच.डी.

(हिन्दी)

शोध उपाधि पंजीयन के लिए प्रस्तुत

सार-संक्षेप (SYNOPSIS)

Jayoti Vidyapeeth Women's University
Estd. in 2008
''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ''

Synopsis
शोध–रूपरेखा

सत्र– दिसम्बर 2022

Format for Outline (Synopsis) of Proposed Research Work
विद्यावाचस्पति उपाधि हेतु प्रस्तावित शोध प्रबन्ध की रूपरेखा

1.	शोधार्थी का नाम	:	श्रवण लाल सेन
	Name of the Scholar	:	Shravan Lal Sen
2.	शोध का शीर्षक	:	महीप सिंह के कथा साहित्य में वृद्ध समाज
	Title of the Research	:	Mahip Singh Ke Katha Sahitya Mein Vriddh Samaj
3.	स्थान	:	हिन्दी विभाग ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर
	Location	:	Department of Hindi Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur
4.	शोध निर्देशक	:	डॉ. आनन्द राय ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर
	Supervisor	:	Dr. Anand Ray Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur

प्रस्तावित शोध समस्या का परिचय एवं महत्व
Introducation and Importance of the Proposed Investigation

प्रस्तावना– जीवन शाश्वत सत्य है। हम सब कुछ बदल सकते है लेकिन अपने पूर्वज नहीं बदल सकते। हम उन्हें छोड़कर इतिहास बोध से कट जाते है और इतिहास बोध से कटे समाज जड़ों से टूटे पेड़ जैसे सूख जाते है। जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता उस परिवार में सुख संतुष्टि और स्वाभिमान नहीं आ सकता। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान हैं हमारी धरोहर है। उन्हें सहेजने की जरूरत है। यदि हम परिवार में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि चाहते है तो परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करना होगा।

इक्कीसवी सदी में वृद्धों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने की सम्भावना है। विकसित राष्ट्रों में स्वास्थ्य एवं समुचित चिकित्सीय सुविधा के चलते व्यक्ति अधिक वर्षों तक जीवित रहतें हैं अतः वृद्धों की जनसँख्या विकासशील राष्ट्रों से ज्यादा विकसित राष्ट्रों में ज्यादा है। भारत एवं चीन जो कि विश्व की जनसँख्या का अधिकांश का हिस्सा रखते हैं इनमे भी बेहतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा के चलते वृद्धों की जनसँख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वृद्धजनों की संख्या 10. 38 करोड़ है।

भारतीय समाज में बुजुर्गों का सम्मान एक महत्वपूर्ण अंग है किन्तु आज के आधुनिक दौर में जीवन के आपाधापी माहौल में लोगों ने बुजुर्गों का सम्मान करना बन्द कर दिया है। उनका अपमान और तिरस्कार करते है। वास्तव में देखा जाएं तो यह हमारी आधुनिक शिक्षा की देन है। अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त शिक्षा आज स्तरहीन है संवेदन शून्य है। वह केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्यक्ति समस्त रिश्ते नातों में आर्थिक प्रगति को देखता है। आर्थिक लाभ होने पर ही समाज में आदान प्रदान करता है। यही कारण है कि आज बुजुर्गों के प्रति सम्मान कम हो रहा है।

प्रस्तावित शोध का महत्व
(Importance of Proposed Research)

आज हमारे समाज में वृद्ध लोगों को दोयम दर्जे के व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। देश में तेजी से सामाजिक परिवर्तनों का दौर चालू है और इस कारण वृद्धों की समस्याऐं विकराल रूप धारण कर रही हैं। इसका मुख्य कारण देश में उत्पादक एवं मृत्यु दर का घटना एवं राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या की गतिशीलता है। देश में जल्दी ही यह विषमता आने वाली है कि वृद्धजन की जनसँख्या का अनुत्पादक वर्ग है वह शीघ्र ही उत्पादक वर्ग से बड़ा होने वाला है। यद्यपि यह समस्या इतनी गंभीर नहीं है जितनी वृद्धों का समाज में समन्वय की समस्या है। वृद्धों के समाज में समन्वय न होने के दो मुख्य कारण हैं। 1.उम्र बढ़ने से व्यक्तिगत परिवर्तन 2. वर्तमान आधुनिक समाज का अपने

वृद्धों से व्यवहार का तरीका। जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है समाज में उसका स्थान एवं भूमिका बदलने लगता है।

संस्कृतियों में वृद्धावस्था विद्वता एवं जीवन के अनुभवों का खजाना माना जाता रहा है लेकिन वर्तमान में यह अवांछनीय प्रक्रिया माना जाता है। परम्परागत रूप से हर संस्कृति में वृद्धों की देखभाल परिवार की जिम्मेदारी मानी जाती हैं लेकिन सामाजिक परिवर्तनों के चलते अब यह राज्य एवं स्वशासी संघटनों की भी जिम्मेवारी बन चुकी है। भारतीय संस्कृति में वृद्धों को अत्यंत उच्च एवं आदर्श स्थान प्राप्त है श्रवण कुमार ने अपने वृद्ध माता पिता को कंधें पर बिठा कर सम्पूर्ण तीर्थ यात्रा करवाईं थीं। आज भी अधिकांश परिवारों में वृद्धों को ही परिवार का मुखिया माना जाता है। कितनी विडंबना है कि पूरे परिवार पर बरगद की तरह छाँव फैलाने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था में अकेला असहाय एवं बहिष्कृत जीवन जीता है। जीवन भर अपने मन क्रम वचन से रक्षा करने वाला, पौधों से पेड़ बनाने वाला व्यक्ति घर में एक कोने में उपेक्षित पड़ा रहता है या अस्पताल या वृद्धाश्रम में अपनी मौत की प्रतीक्षा करता है आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों के क्षरण की यह परिणिति है। आज के वैश्विक समाज में वृद्धों को अनुत्पादक, दूसरों पर आश्रित, सामाजिक स्वतंत्रता से दूर अपने परिवार एवं आश्रितों से उपेक्षित एवं युवा लोगों पर भार की दृष्टि से देखा जाता है। जब तक हम वृद्ध जनों की कीमत नहीं समझेंगें उस उम्र की पीड़ा का अहसास नहीं करेंगे तब तक हमारी सारी अच्छाइयाँ बनावटी होंगी।

वृद्धों के सम्मान हेतु जनचेतना जगानी होगी। वृद्धों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन जरूरी है। हमें निम्न तरीकों से वृद्धों के सम्मान में वृद्धि करनी होगी।

1. बहुसंस्कृति जागरूकता पर हमें ध्यान देना होगा।
2. वृद्धों को काम के बदले ज्यादा पैसा मिलाना चाहिए इस सम्बन्ध में सरकारों को नए नियम बनाने होंगें।
3. वृद्धों को अधिमान्यता देने से वृद्धों की समस्याएं सुलझ सकती हैं। नौकरियों में जहाँ बुद्धि एवं सोच की आवश्यकता हैं वहां वृद्धों को लाभ देना चाहिए।
4. परिवार ,एवं राज्यों को वृद्धजनों की सतत देखभाल करनी होंगी जहाँ पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो वहां कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है।
5. वृद्धों को समाज में प्रमुखता मिलनी चाहिए ताकि उनके जीवन को सार्थकता का एहसास हो उनकी सामाजिक कार्यों में संलिप्तता एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव उनके जीवन को नई स्फूर्ति प्रदान करेगा।

6. परिवार के निर्णयों में वृद्ध लोगों को शामिल करें ताकि उन्हें अपनी महत्ता का अहसास बना रहे।

7. वृद्ध व्यक्तियों को उनके मानसिक, शारीरिक, एवं भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल की पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वे मानसिक शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ्य रहें।

8. वृद्ध व्यक्तियों को उनकी ऊर्जा के साथ शिक्षा, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, एवं मनोरंजन के स्त्रोतों को अपनाने की पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए जिससे उनमे परिपूर्णता का बोध हो।

9. वृद्ध लोगों को पूर्ण सम्मान एवं सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए ताकि वो मानसिक एवं शारीरिक शोषण से बच सकें।

10. परिवार के वृद्धजनों को भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता की अत्यंत आवश्यकता होती है ताकि वो अकेलेपन या अवसाद की स्थिति में न आ पाएं।

11. वृद्ध लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है उनके पास पर्याप्त पैसा होना जरूरी है ताकि उनमे असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाये एवं अपनी जरूरतों के मुताबिक खर्च कर सकें।

वृद्धजनों के अधिकार

हमारे संविधान में वृद्ध जनों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। वृद्धजनों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की व्याख्या निम्नानुसार हैं।

1. **संवैधानिक अधिकार–** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 की सूची 3 एवं धारा 6 में वृद्ध लोगों के अधिकारों की चर्चा की गई है। इसमें कार्य की दशाओं ,भविष्य निधि,अशक्तता तथा वृद्धावस्था पेंशन की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त राज सूची के मद संख्या 9 एवं समवर्ती सूची की मद संख्या 20, 23, एवं 24 में पेंशन,सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा के अधिकार दिए गए हैं।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के भीतर वृद्धजनों के रोजगार, शिक्षा, बीमारी एवं विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करेगा एवं इसके लिए कारगर प्रावधान बनायेगा।

2. **कानूनी अधिकार–** माता पिता की देखभाल करना हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी है किन्तु विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में इसके लिए अलग जिम्मेदारियां कानून ने निर्धारित की हैं।

(I) **हिन्दू कानून–** साधन विहीन माता पिता अपने भरण पोषण के लिए साधन संपन्न बच्चों पर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अधिकार को कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 (1) (डी) तथा हिन्दू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 (1 एवं 3) द्वारा मान्यता दी गई है। इस धारा से स्पष्ट है कि अभिभावकों के भरण पोषण की जिम्मेवारी पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों की भी है। महत्वपूर्ण बात यह है की इस धारा के अंतर्गत सिर्फ वे ही अभिभावक आते हैं जो भरण पोषण करने में आर्थिक रूप से असमर्थ हैं।

(II) **मुस्लिम कानून–** तैयबजी के अनुसार माता पिता या दादा दादी आर्थिक विपन्नताओं की स्थिति में हनाफी नियम के अनुसार अपने पुत्र पुत्रियों या नाती नातीनों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं एवं ये अपने माता पिता की सहायता के लिए बाध्य हैं।

(III) **ईसाई एवं पारसी कानून–** ईसाई एवं पारसियों के अभिभावकों के भरण पोषण के लिए कोई व्यक्तिगत कानून नहीं हैं। जो अभिभावक भरण पोषण चाहते हैं वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 एक धर्म निरपेक्ष कानून है तथा ये सभी धर्मों एवं समुदायों पर लागू होता है। इस संहिता के तहत धारा 125 (1) में प्रावधान है कि जो माता पिता अपने भरण पोषण में असमर्थ हैं यदि उनके पुत्र या पुत्रियाँ उनके भरण पोषण से इंकार करते हैं तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को अपने माता पिता के भरण पोषण के इंकार के प्रमाण के आधार पर मासिक भत्ता देने के आदेश दे सकता है।

अंतराष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा में वृद्धजनों की समस्याओं पर अर्जेंटीना में 1948 में चर्चा हुई थी। 16 दिसंबर 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा में प्रस्ताव पारित कर वृद्धजनों के हित में 18 सिद्धांतों को अधिमान्य किया गया जिन्हें पांच भागों में बांटा गया है 1. स्वतंत्रता 2. भागीदारी 3. देखभाल 4. स्वपूर्णता 5. सम्मान। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1999 को 1 अक्टूबर को अंतरष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाने का संकल्प पारित किया गया।

वृद्धों की समस्याओं को हर फोरम पर अभिव्यक्ति की जरूरत है सामाजिक, राजनैतिक एवं भूमंडलीय स्तर पर गंभीरता से इन्हे सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमें वृद्धों के प्रति सही दृष्टिकोण, वृद्धों की जरूरतों एवं उनके जीवन को ध्यान में रख कर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसे सामाजिक तंत्र को विकसित करना होगा जो वृद्धों की देखभाल बिना एक दूसरे पर आक्षेप लगा कर कर सके। हमें समाज में यह चेतना जगानी होगी कि वृद्ध हमारी जिम्मेवारी नहीं आवश्यकता हैं, वो जीवन के अनुभवों के खजाने हैं जिन्हे सहेज कर रखना हर समाज एवं संस्कृति का धर्म एवं नैतिक जबावदारी है।

शोध कार्य का उद्देश्य
Objective of the Proposed Research

भारतीय संस्कृति में वृद्धों का स्थान सर्वोच्च रहा है। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान जो भारत में देखने को मिलता था, वह विश्व के किसे अन्य देश में नहीं था। किन्तु आज के माहौल में यह सम्मान समाप्त हो रहा है। ऐसे में वृद्धों के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। मेरे शोध का उद्देश्य वृद्धों की समस्याओं को उजागर करना है।

महीप सिंह के कथा साहित्य में वृद्ध समाज के विविध रूपों को उद्घाटित करना है–

1. वृद्ध समाज को परिभाषित करना।
2. वृद्ध समाज का साहित्य में स्थान को परिभाषित करना।
3. स्वतन्न्योत्तर वृद्ध समाज की स्थिति को परिभाषित करना।
4. वृद्ध समाज की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति को परिभाषित करना।
5. महीप सिंह के कथा साहित्य में वृद्ध समाज के स्वरूप को समझना।

पूर्व में किये गये कार्यों का अवलोकन
Review of Literature

शोध कार्य को प्रारम्भ करने से पहले पूर्व में किये गये कार्यों का अवलोकन करना आवश्यक होता है। जिससे ज्ञात होता है कि किस विषय पर शोध कार्य हो चुका है और हमे किस विषय पर शोधकार्य करना है।

1. कहानीकार महीपसिंह संवेदना और शिल्प, डॉ. अजित चव्हाण, चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर, सं0 2011। उक्त कृति को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय में महीप सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय अध्याय में संवेदना एवं शिल्प का आशय स्पष्ट किया गया है। तृतीय अध्याय में महीप सिंह की कहानियों में संवेदना के विविध आयाम से अवगत कराया गया हैं। चतुर्थ अध्याय महीप सिंह की कहानियों का शिल्प विधान के अन्तर्गत महीप सिंह के कहानियों के वर्णित शब्द सम्पदा, भाषा आदि के बारे में बताया गया है। पंचम अध्याय उपसंहार में सम्पूर्ण कार्य का समाहार प्रस्तुत किया गया है।
2. महीप सिंह की कहानी कला और समकालीन जीवन, डॉ. हनुमंत दत्तु शेवाले, अन्नपूर्णा प्रकाशन कानपुर, सं0 2009। उक्त कृति को नौ अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय महीप सिंह : व्यक्तित्व एवं कृति परिचय है। द्वितीय अध्याय समकालीन जीवन और परिवेश : अर्थ एवं

स्वरूप है। तृतीय अध्याय विवेच्य कहानियों में प्रस्तुत समकालीन महानगरीय जीवन है। चतुर्थ अध्याय विवेच्य कहानियों में समकालीन अध्यापक जीवन है। पंचम अध्याय विवेच्य कहानियों में समकालीन वेतन भोगियों एवं उद्योग कर्मियों का जीवन है। षष्ठ अध्याय महीप सिंह की कहानी कला : शिल्प के परिप्रेक्ष्य में है। सप्तम अध्याय : महीप सिंह कहानी कला : भाषा के परिप्रेक्ष्य में है। अष्टम अध्याय महीप सिंह की कहानी कला : शैली के परिप्रेक्ष्य में है। नवम अध्याय विवेच्य कहानियों में समकालीन जीवन : विविध संदर्भ है।

3. हिन्दी उपन्यास का इतिहास, गोपाल राय, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, सं0 2014। उक्त कृति को आठ अध्यायों में विभाजित किया गया है। उपन्यास साहित्य के आरम्भ से लेकर अभी तक के उपन्यासों के बारे में बताया गया है। महीप सिंह के उपन्यासों पर भी प्रकाश डाला गया है।

4. हिन्दी कथा साहित्य में सृजन के नये संदर्भ, प्रो0 राजीव कुमार, ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली, सं0 2023। उक्त कृति को 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पंचम अध्याय हिन्दी कथा साहित्य में शिल्प एवं शैली के अन्तर्गत महीप सिंह के कथा साहित्य में शिल्प एवं शैली के माध्यम से महीप सिंह के कथा साहित्य में शिल्प की स्थिति को प्रदर्शित किया है।

5. हिन्दी गद्य विधाओं का विकासात्मक स्वरूप, डॉ. राजीव कुमार, सं0 2016। उक्त कृति को 19 अध्यायों में विभाजित किया गया है। जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाला है।

6. साहित्य विविधा, डॉ. रमेश चन्द्र लवानिया, अमित प्रकाशन, गाजियाबाद, सं0 1985। उक्त कृति को 31 अध्यायों में विभाजित किया गया है। जिसमें उपन्यास, कहानी, संपाल, पुस्तक समीक्षा, संस्मरण, निबन्ध, ललित निबन्ध आदि के बारे में बताया गया है।

7. हिन्दी विधाएँ : स्वरूपतामक अध्ययन, डॉ. बैजनाथ सिंहल, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ, सं0 1988। उक्त कृति को 12 अध्यायों में विभाजित किया है। इसमें कविता, नाटक, कहानी, उपन्याय, व्यंग्य आदि के बारे में बताया गया है।

8. महीप सिंह की कहानियों में जीवन मूल्य, रेखा पी.एस, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, सं 2019। उक्त प्रबन्ध शोध को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय आधुनिक हिन्दी कहानीकारों में महीप सिंह का स्थान है। द्वितीय अध्याय महीप सिंह और सचेतन कहानी आन्दोलन है। तृतीय अध्याय कहानियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। चतुर्थ अध्याय महीप सिंह की कहानियों में जीवन मूल्य है। पंचम अध्याय उपसंहार है।

9. महीप सिंह के कथा साहित्य में युगबोध, सैराबानु एम् नवलगुंद, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड, 2006। उक्त प्रबन्ध शोध को सात अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय महीप सिंह का जीवन और व्यक्तित्व है। द्वितीय अध्याय महीप सिंह का कहानी साहित्य है। तृतीय अध्याय में महीप सिंह का उपन्यास साहित्य है। चतुर्थ अध्याय युगबोध है। पंचम अध्याय महीप सिंह की कहानियों में रुपायित युगबोध है। षष्ठम महीप सिंह के उपन्यासों में अंकित युगबोध है। सप्तम अध्याय उपसंहार है।

10. डॉ. महीप सिंह की कहानियों में स्त्री विमर्श, पूजा यादव, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर उ0 प्र0, 2021। उक्त प्रबन्ध शोध को पांच अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय डॉ. महीप सिंह : व्यक्तित्व एवं कृतित्व है। द्वितीय अध्याय स्त्री विमर्श : इतिहास एवं स्वरूप है। तृतीय अध्याय डॉ. महीप सिंह का कहानी साहित्य : परिवेश और मूल्य है। चतुर्थ अध्याय महीप सिंह का कहानी साहित्य और स्त्री विमर्श है। पंचम अध्याय डॉ. महीप सिंह की भाषा शैली एवं शिल्प विधान है। अन्त में उपसंहार प्रस्तुत किया है।

11. कहानीकार महीप सिंह : मानवीय संबंधों की सचेतन दृष्टि, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक, 2002। उक्त प्रबन्ध शोध को छः अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय : स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कहानी का परिप्रेक्ष्य और विभिन्न कहानी आन्दोलन है। द्वितीय अध्याय कहानीकार महीपसिंह की जीवन दृष्टि और कृतित्व है। तृतीय अध्याय सचेतन कहानी आन्दोलन : युग परिवेश एवं सचेतन दृष्टि है। चतुर्थ अध्याय महीप सिंह की कहानियों में मानवीय संबंधों का स्वरूप है। पंचम अध्याय मानवीय संबंध और कहानीकार की सचेतन दृष्टि है। षष्ठम अध्याय सचेतन दृष्टि की हिन्दी कहानी पर प्रभाव है। अन्त में उपसंहार प्रस्तुत किया है।

12. महीप सिंह के कथा–साहित्य में यथार्थ–बोध, श्रीमती बी. लक्ष्मी, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखपट्टणम 2011। उक्त प्रबन्ध शोध को छः अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय विषय प्रवेश है। इसके दो भाग है प्रथम भाग यथार्थ–बोध का स्वरूप–विवेचन है द्वितीय भाग महीप सिंह की जीवनी और रचनाएँ है। द्वितीय अध्याय महीप सिंह के कथा–साहित्य की वस्तुगत–संरचना : युगीन यथार्थ की अभिव्यक्ति के संदर्भ में। तृतीय अध्याय महीप सिंह के कथा–साहित्य में चरित्र सृष्टिः तनाव पूर्ण जीवन स्थितियों का यथार्थता की अभिव्यक्ति के संदर्भ में है। चतुर्थ अध्याय महीप सिंह के कथा–साहित्य में पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है। पंचम अध्याय महीप सिंह के कथा साहित्य में युगीन आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का यथार्थ अंकन है। षष्ठम अध्याय महीप सिंह के कथा–साहित्य में धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ चित्रण है। अन्त में उपसंहार है।

13. महीप सिंह की कहानियों में मानव–मूल्य, श्रीमती अंकुसु रमादेवी, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखपट्टणम, 2020। उक्त प्रबन्ध शोध को सात अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय महीप सिंह का व्यक्तित्व एवं कृतित्व है। द्वितीय अध्याय मानव मूल्यों का स्वरूप : विवेचन एवं मूल्य विघटन है। तृतीय अध्याय महीप सिंह की कहानियों में चित्रित सामाजिक मूल्य है। चतुर्थ अध्याय महीप सिंह की कहानियों में चित्रित धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्य है। पंचम अध्याय महीप सिंह की कहानियों में चित्रित राजनीतिक एवं आर्थिक मूल्य है। षष्ठम अध्याय महीप सिंह की कहानियों में अभिव्यक्त मूल्य विघटन है। सप्तम अध्याय महीप सिंह की कहानियों का शिल्प है। अन्त में उपसंहार दिया है।

14. महीप सिंह की कहानियों में सांस्कृतिक बोध, योगेश व्यास, शोध ऋतु, त्रैमासिक, जुलाई सितम्बर 2022। उक्त शोध आलेख में शोधार्थी ने महीप सिंह की कहानियों में निहित सांस्कृतिक बोध को प्रस्तुत किया है।

15. महीप सिंह कृत 'बीच में धूप' उपन्यास में सामाजिक बोध, योगेश व्यास, शोध ऋतु, त्रैमासिक, अक्टूबर–दिसम्बर 2022। उक्त शोध आलेख में शोधार्थी ने महीप सिंह के उपन्यास बीच में धूप उपन्यास में निहित सामाजिक बोध को प्रस्तुत किया है।

प्रस्तावित शोध के क्षेत्र में पहचानी गई शोध रिक्तता
Research Gaps identified in the proposed feld of invertigations
(Based on the review)

महीप सिंह पर अनेक शोध कार्य हुए है किन्तु वृद्ध समाज पर कोई भी शोध कार्य नहीं हुआ है। इसलिए महीप सिंह के कथा साहित्य में वृद्ध समाज पर शोधकार्य की आवश्यकता है।

परिकल्पना
Mejor Hypothesis

अनुसंधान का प्रारंभ जब होता है, जबकि एक समस्या हो। समस्या की अभिव्यक्ति का एक महत्त्वपूर्ण साधन परिकल्पना है। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन किसी भी अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का सही प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस अनुसंधान और समस्या से संबंधित कुछ प्रारंभिक ज्ञान तथा सामान्य अनुभव प्राप्त कर ले।

समुद्री जहाज की कमान को जिस पर उसकी कुतुबनुमा से अज्ञात दिशा में भी सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है ठीक उसी प्रकार अपने विचार से अनुसंधानकर्ता भी कार्य व अध्ययन में दिशा प्राप्त करता है और उसके अनुसार आगे बढ़ता हुआ प्रगति करता है। अनुसंधानकर्ता के इस प्रकार के विचार परिकल्पना कहा जाता है।

वैज्ञानिक शोध कार्य में परिकल्पनाओं का विशेष महत्त्व होता है। शोध का प्रारूप परिकल्पनाओं पर ही आधारित होता है। इसका प्रतिपादन दो प्रकार से किया जाता है दिशा युक्त परिकल्पना तथा दिशा विहीन परिकल्पना।

यदि दिशा युक्त परिकल्पना उल्लेख करना है तब उसका सैद्धांतिक आधार अंकित करना चाहिए। इसलिए आजकल दिशाविहीन परिकल्पनाओं का उल्लेख करते है क्योंकि इसके सैद्धांतिक आधार की आवश्यकता नहीं होती है। समस्या के समाधान के संभावित रूप को परिकल्पना कहते है या किसी प्रश्न के उत्तर के समाधान या उत्तर के लिए नियोजित किया जाता है। परन्तु सभी विषयों में परिकल्पना का प्रतिपादन करना संभव नहीं होता है। जैसे ऐतिहासिक शोध साहित्यिक शोध भाषा के शोध आदि। परिकल्पनाओं का प्रत्यक्ष संबंध शोध उद्देश्य से होना चाहिए।

वस्तुतः परिकल्पना एक ऐसा विचार है, जो किसी सामान्य संबंध बना ले जाता है और जिसकी सार्थकता परीक्षा के लिए आवश्यक तथ्यों को एकत्रित किया जाना है।

परिकल्पना अनुसंधान कार्य उपकल्पना का निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है।

गुड एवं हाट ने परिकल्पना के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उपकल्पना के अभाव में अनुसंधान एक अनिर्दिष्ट विचारहीन विचरण के समान है परिकल्पना सिद्धांत तथा अनुसंधान के बीच एक आवश्यक खड़ी है जो ज्ञान की वृद्धि की खोज से सहायक होती है।

भौतिक विज्ञान में परिकल्पना का निर्माण विशेष महत्त्व नहीं रखता किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से देखना आवश्यक है। भौतिक विज्ञान में किसी कार्य कारण केवल एक ही हो सकता है। सामाजिक विज्ञान में तो किसी भी व्यवहार के अनेक कारण हो सकते है। कारणों की इसी बहुलता के कारण सामाजिक विज्ञानों में अनेक परिकल्पनाएँ लेते है तथा प्रत्येक की सत्यता का परीक्षण करते है।

शोध कार्य में एक अच्छी परिकल्पना महत्त्वपूर्ण ही नहीं वरन आवश्यक शर्त भी इसलिए कहा गया है। ''अच्छे अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण एक केन्द्रीय पक्ष है''

अनुसंधान में परिकल्पना का अत्यधिक महत्त्व होता है। इससे शोधार्थी को निम्न लाभ हुए है :–परिकल्पना के द्वारा शोधार्थी को अनुसंधान कार्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि अनुसंधान कार्य में कौन–कौन सी क्रिया करनी है तथा कैसे करनी है। परिकल्पना के निर्माण से कार्य को सही दिशा मिलती है।

- परिकल्पना के द्वारा समस्या सुनिश्चित एवं संकुचित हुई, जिससे समस्या का विशेष तौर निश्चित क्षेत्र स्थित हुआ। इसके निर्धारण से अनुसंधान कार्य विशिष्ट हो गया तथा शोधार्थी का अपव्यय बच सका।
- परिकल्पना द्वारा शोधार्थी को प्रमुख विषय का चुनाव करने में तथा समस्या को सीमित करने में सहायता मिली।
- परिकल्पना द्वारा पुनरावृति संभव हो सकी पुनः परीक्षण द्वारा अनुसंधान के निष्कर्ष की सत्यता का मूल्यांकन करने से सहायता मिली, परिकल्पना के अभाव में शोधार्थी के लिए पुनः परीक्षण असंभव था तथा यह भी ज्ञात करना असंभव की समस्या के किस विशेष पद पर कार्य किया है तथा किसका नियंत्रण करके किसका परीक्षण किया है।
- परिकल्पना द्वारा शोधार्थी को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायता मिली, साथ उचित मार्ग पर चलकर निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में शोधार्थी सफल हुआ।

परिकल्पना का मुख्य कार्य अन्वेषण क्षेत्र में तथ्यों के रूप में अनुसंधान का मार्गदर्शन करना होता है। परिकल्पना द्वारा अनुसंधानकर्ता उपलब्ध एवं प्राप्त तथ्यों एवं उनके संबंधों को स्थापित करता है।

शोधार्थी के लिए परिकल्पना का निर्माण के बिना शोध कार्य लगभग असंभव है। परिकल्पना को निर्मित करने से पूर्व यह भी जानना आवश्यक होता है कि किस प्रकार की परिकल्पना का चयन अपने शोध कार्य करने हेतु कर रहा है क्योंकि विभिन्न वैज्ञानिकों ने परिकल्पना के कई प्रकार बताएँ है। जैसे हेज ने दो प्रकार की परिकल्पना बतायी है।

1. सरल परिकल्पना
2. जटिल परिकल्पना

मेकगुईन ने सार्वभौमिक एवं अस्तित्वामक परिकल्पना का उल्लेख किया है। गुड हॉट ने परिकल्पना का वर्गीकरण अमूर्तता के आधार पर किया है –

1. अनुभव आश्रित एकरूपता संबंधी परिकल्पनाएँ है
2. जटिल आदर्श युक्त परिकल्पनाएँ
3. विश्लेषणात्मक चर संबंधी परिकल्पना

रोनेल्ड फिशर उपयुक्त परिकल्पना से अलग शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया है इस परियोजना को सांख्यिकी परिकल्पना भी कहते है। (Null) जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता

है, शून्य (Zero) या कुछ नहीं अतः इसे शून्य परिकल्पना भी कहा जाता है। इस प्रकार की परिकल्पना की निम्न विशेषताएँ होती है।

- इस प्रकार की परिकल्पना की प्रमुख विशेषता यह है कि यह निर्देश रहित होती है। इनके द्वारा नकारात्मक एवं धनात्मक दोनों ओर समान रूप से विचार प्रकट होते है। इससे सयोग प्रत्याशित को पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसे तात्पर्य है कि अनुसंधानकर्ता के लिए परीक्षा में सफलता होती है। उसकी स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है।
- इस प्रकार की परिकल्पना की दूसरी विशेषताएँ यह है कि इससे परख का प्रयोग कहते है। अर्थात दो संभावनाओं पर समान दृष्टि रहती है। इसी कारण सर्वोत्तम मानते है तथा अधिकांश शोधार्थी इसी का प्रयोग करते है।

यद्यपि इन्टरनेट एवं शोधग्रंथों के पर्यालोचन से यह परिज्ञात हुआ की महीप सिंह के कथा साहित्य में वृद्ध समाज पर कोई शोध कार्य नहीं हुआ है। इसलिए शोधार्थी द्वारा उक्त शोध कार्य को यथामति अग्रसर किया जाएगा।

अनुसंधान पद्धतियाँ एवं शोध विधि
Research Methodology

महीप सिंह के कथा साहित्य में वृद्ध समाज से संबंधित सामग्री हेतु विविध भारत के ग्रन्थकार, पुस्तकालय, धार्मिक एवं आध्यात्मिक शोध संस्थाओं का अध्ययन कर इस शोधार्थी द्वारा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाएगा।

प्रारम्भिक विवरण :–

द्वितीय स्तर पर प्रकाशित आँकड़े जो पूर्व में प्रकाशित हो चुके है उनका संग्रहण किया जाएगा।

शोध कार्य की अनुमानित कार्य विधि शोध कार्य दो वर्ष अर्थात् 24 माह की अवधि में शोध विधि तथा प्रविधियों सहित पूर्ण होने की आशा की जाती है।

पुस्तकालय एवं शोध संस्थान

1. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पुस्तकालय, उदयपुर।
2. राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय पुस्तकालय, उदयपुर।
3. माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर।
4. एस.एन.टी.डी. विश्वविद्यालय, मुम्बई।

प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा
Tentative Chapterisation

अध्याय एक– विषय प्रवेश

1.1 शोध कार्य का उद्देश्य

1.2 शोध कार्य का महत्व

1.3 शोध कार्य के लिए अपनाई गई शोध प्रविधि

1.4 पूर्व में किए गए कार्यो का सिंहावलोकन

अध्याय दो– कथा साहित्य : संक्षिप्त परिचय

2.1 उपन्यास उद्भव एवं विकास

2.2 कहानी उद्भव एवं विकास

2.3 विभिन्न कहानी आन्दोलन

2.4 महीप सिंह एवं सचेतन कहानी आन्दोलन

अध्याय तीन – वृद्ध समाज परिभाषा एवं स्वरूप

3.1 वृद्ध समाज से तात्पर्य

3.2 वृद्ध समाज परिभाषा

3.3 हिन्दी साहित्य में वृद्ध समाज का स्वरूप

अध्याय चार – महीप सिंह का व्यक्तित्व एवं कृतित्व

4.1 महीप सिंह का व्यक्तित्व

4.2 महीप सिंह का कृतित्व

4.3 महीप सिंह का अन्य साहित्य

अध्याय पांच– महीप सिंह के कथा साहित्य में वृद्ध समाज

5.1 महानगरीय वृद्ध समाज

5.2 असुरक्षा बोध

Jayoti Vidyapeeth Women's University
Estd. in 2008
''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ''

5.3 अकेलापन

5.4 धनाभाव

अध्याय छ– महीप सिंह के कथा साहित्य में शिल्प एवं शैली

6.1 भाषा

6.2 बिम्ब

6.3 संवाद शैली

6.4 व्यंग्यात्मक शैली

6.5 नाटकीय शैली

6.6 एकालाप शैली

अध्याय सात– हिन्दी कथा साहित्य में महीप सिंह एवं समकालीन साहित्यकार

7.1 समकालीन साहित्यकार

7.2 समकालीन साहित्यकार एवं महीप सिंह का स्थान

7.3 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महीप सिंह के साहित्य की प्रासंगिकता

उपसंहार

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अ. आधार ग्रन्थ

1. महीप सिंह, बीच की धूप, किताबघर प्रकाशन नई दिल्ली, ंस0 2010

2. महीप सिंह, अभी शेष है, किताबघर प्रकाशन नई दिल्ली, ंस0 2004

3. महीप सिंह, यह भी नहीं, राजपाल एंड संन्स, दिल्ली, 1976

4. महीप सिंह रचनावली; दस खण्ड : नमन प्रकाशन–नई दिल्ली, 2007

5. महीप सिंह, सहमें हुए, अभिव्यंजना प्रकाशन, दिल्ली, सं0 1998

6. महीप सिंह, सुबह के फूल, हिन्दी भवन इलाहाबाद, सं0 1963

7. महीप सिंह, प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, सं 2013, पृ0 28

8. महीप सिंह, महीप सिंह की लोकप्रिय कहानियाँ, प्रभात पेपर बैक्स, सं 2016, पृ0 85

9. महीप सिंह– सुबह की महक, राष्ट्रभाषा प्रकाशन, लखनऊ, सन् 1959

10. महीप सिंह–संबंधों का सन्नाटा, अभिव्यंजना प्रकाशन, दिल्ली, सं0 2000

ब. सहायक ग्रन्थ

1. मंजु रुस्तगी, अनामिका का काव्य, वाणी प्रकाशन, सं 2015,

2. राजेन्द्र यादव, कहानीः स्वरूप और संवेदना, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1968

3. डॉ. उमा त्रिपाठी, रांगेय राघव का कथा साहित्य

4. डॉ. कमलेश सचदेव महीप सिंह का कथा संसार

5. डॉ. पुष्पपाल सिंह समकालीन कहानी रचना

6. स्पा. डॉ गुरचरण सिंह कथाकार महीप सिंह

7. डॉ पुष्पपाल सिंह समकालीन कहानी–युगबोध का संदर्भ

8. गोपाल राय, हिन्दी उपन्यास का इतिहास

9. डॉ नरेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास,

10. डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी हिन्दी नवलेखन

11. डॉ. जयनाथ नलिन साहित्य का आधार दर्शन

12. डॉ. नरेंद्र मोहन आधुनिकता और समकालीन रचना संदर्भ

13. डॉ. शिवकुमार शर्मा, हिन्दी साहित्य : युग और प्रवृत्तियाँ,

14. डॉ. नामवर सिंह, कहानी नयी कहानी, लोक भारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद, सं0 2005

15. डॉ. वासुदेव शर्मा, साठोत्तर हिन्दी कहानी मूल्यों की तलाश

16. डॉ. भैरू लाल गर्ग आज की हिन्दी कहानी

17. यदुनाथ सिंह, समकालीन हिन्दी कहानी

18. डॉ. अर्जुन चव्हाण, समकालीन उपन्यासों में वैचारिक पक्ष

19. मोहन अवस्थी, हिन्दी साहित्य का विवेचनपरक इतिहास

20. रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास

21. डॉ. राम कली सराफ नयी कहानी : विघटन और विसंगति,

22. तसलीमा नसरीन, औरत का कोई देश नहीं

23. वेदप्रकाश अमिताभ, हिन्दी के आँचलिक उपन्यासों में मूल्य संक्रमण, द्वितीय संस्करण 2009

संस्कृत शब्द कोष

संस्कृत हिन्दी कोष : वामन शिवराम आप्टे, मोती लाल बनारसी दास पब्लिशर्स, दिल्ली

(अ) पत्र पत्रिकाएं

1. शोध ऋतु

2. शोध धारा

3. वेदांजलि

4. शब्दार्णव

5. समवेत

6. सरस्वती सुमन

(ब) समाचार पत्र

अमर उजाला

दैनिक जागरण

दैनिक भास्कर

राजस्थान पत्रिका

पंजाब केसरी

हिन्दुस्तान

(स) वेब संकेत स्थल

1. https://hindikahani.hindi-kavita.com/HK-Maheep-Singh.php
2. https://www.hindikunj.com/2010/03/maheep-singh.html
3. https://www.oyeaflatoon.com/story-kala-baap-gora-baap-by-maheep-singh/